

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4

PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 171] नई दिल्ली, सोमवार, मई 27, 2019/ज्येष्ठ 6, 1941 No. 171] NEW DELHI, MONDAY, MAY 27, 2019/JYAISTHA 6, 1941

वास्तुकला परिषद्

(भारत सरकार का सांविधिक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 अक्तूबर, 2018

वार्षिक रिपोर्ट 2017-2018

संदर्भ सं. सी.ए./55बी/2019/राजपत्र (वा.रि.)—निम्नलिखित को सर्व साधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है:-

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन गठित वास्तुकला परिषद् को 31 मार्च 2018 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए परीक्षित लेखा विवरण सिहत अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने में प्रसन्नता हो रही है। परिषद् मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार के अधीन कार्यशील है।

संगठनात्मक संरचनाः

वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष संगठन के प्रमुख होते हैं जिसके समग्र प्रभार के अधीन परिषद् काम करती है। वर्तमान में परिषद् के अध्यक्ष श्री विश्वरंजन नायक हैं। वास्तुकला परिषद् के कुलसचिव परिषद् के मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं।

सांविधिक तथा अन्य समितियां :

अधिनियम के उद्देशों को पूरा करने के लिए, केन्द्र सरकार ने नियमों को बनाया तथा परिषद् के कर्तव्यों और कार्यों के संचालन के लिए विनियम बनाए तथा विभिन्न सिमितियां गठित की हैं। कार्यकारिणी सिमिति परिषद् के कार्यकारी प्राधिकारी के रूप में काम करती है। अनुशासन सिमिति, शिकायतों की जांच-पड़ताल करती है और वास्तुविदों के व्यावसायिक कदाचार के संबंध में जांच करती है। सलाहकार सिमिति (अपील) उन आवेदकों की अपीलों की सुनवाई करती है जिनके पंजीकरण के मामले परिषद् द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं।

परिषद् ने विदेशी अर्हताओं की मान्यता हेतु केंद्र सरकार से प्राप्त संदर्भों की जांच हेतु वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन एक उप-सिमिति गठित की है।

इनके अलावा, विशेष/खास प्रयोजनों के लिए समय-समय पर अन्य समितियां गटित की जाती हैं।

<u>बैठकें</u>:

क. परिषद : रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद की एक बैठक हुई। 68वीं बैठक 13 अक्टूबर 2017 को आयोजित हुई।

2645 GI/2019 (1)

ख. कार्यकारिणी समिति : वर्ष 2017-2018 के दौरान, कार्यकारिणी समिति की 14 बैटकें हुई अर्थात् 8 अप्रैल, 2017 को 171वीं बैटक, 27 और 28 मई, 2017 को 172वीं बैटक, 26 जून, 2017 को 173वीं बैटक, 8 और 9 जुलाई, 2017 को 174वीं बैटक, 23 जुलाई, 2017 को 175वीं बैटक, 6 अगस्त, 2017 को 176वीं बैटक, 14 अगस्त, 2017 को 177वीं बैटक, 7 सितम्बर, 2017 को 178वीं बैटक, 12 अक्टूबर, 2017 को 179वीं बैटक, 6 नवम्बर, 2017 को 180वीं बैटक, 8 दिसम्बर, 2017 को 181वीं बैटक, 11 जनवरी, 2018 को 182वीं बैटक, 19 फरवरी, 2018 को 183वीं बैटक तथा 31 मार्च, 2018 को 184वीं बैटक हुई।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान परिषद् द्वारा लिए गए विभिन्न निर्णयों और कार्रवाइयों का सारांश नीचे दिया जा रहा है :-

1.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अधीन परिषद् द्वारा रखे गए वास्तुविद् रजिस्टर में नामों को फिर से चढ़ाना :

परिषद् ने अपनी 68वीं बैठक में 1 फरवरी 2017 से 15 सितम्बर 2017 तक की अवधि में 1957 चूककर्ता वास्तुविदों के नामों को अपेक्षित फीस प्राप्त हो जाने के बाद वास्तुविद् रजिस्टर में पुनः दर्ज किया।

2.0 निवेदन करने पर तथा निधन होने पर वास्तुविद् रजिस्टर से नामों को हटाना :

परिषद् ने अपनी 68वीं बैठक में वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के धारा 29(1)(ए) के तहत निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनके द्वारा निवेदन करने पर हटाए :-

- (i) सुश्री मोनिका मित्तल, सीए/1997/20906, दिल्ली;
- (ii) श्री एम. आर. मेहेन्दले, सीए/1976/3389, नई दिल्ली;
- (iii) श्री अमित मेन्दीरत्ता, सीए/2000/25771, नई दिल्ली;
- (iv) श्री एस. डी. कुलकर्णी, सीए/1978/4490, मुम्बई;
- (v) श्री दिव्या वेंकटेश, सीए/2008/43821, बैंगलोर;
- (vi) श्री एस. जी. महापात्रा, सीए/1993/16476, भुवनेश्वर;
- (vii) श्री नीतू चंद्रा, सीए/2013/61530, बैंगलोर;
- (viii) श्री वी. के. लिमये, सीए/1982/6971, रत्नागिरी;
- (ix) श्री अरविन्द भल्ला, सीए/1997/21312, भोपाल;
- (x) श्री मनमोहन एस. गढोके, सीए/1979/4877, दिल्ली;
- (xi) श्री शुभम पी. वीरकर, सीए/1989/12588, मुम्बई;
- (xii) श्री एम. एम. आई. बापे, सीए/1975/654, टाणे;
- (xiii) श्री डी. के. बब्बर, सीए/1975/1788, मुम्बई;
- (xiv) श्री ए. ए. आराध्य, सीए/1992/14882, पूणे;
- (xv) श्री वी. एस. कुलकर्णी, सीए/1984/8503, पूणे;
- (xvi) श्री वी. डी. पराधकर, सीए/1975/1785, पूणे;
- (xvii) श्री ए. एच. इंग्लिकर, सीए/1984/8730, पूणे;
- (xviii) श्री यू. ए. अन्वेकर, सीए/80/5513, मुम्बई;
- (xix) श्री अम्बरेश एम. डिसूजा, सीए/84/8512, मुम्बई;
- (xx) सुश्री जे. वी. शिन्दे, सीए/2005/35487, पूर्णे;
- (xxi) सुश्री नीता एच. भट्ट, सीए/1980/5488, पूणे;
- (xxii) श्री उमेश एस. केल्कर, सीए/2015/70182, टाणे; तथा
- (xxiii) सुश्री के. आर. जायसवाल, सीए/1975/565, सिकन्दराबाद;

इसके अतिरिक्त परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के अनुच्छेद 29(1)(बी) के अधीन निम्नलिखित वास्तुविदों के नाम उनकी मृत्यु पर वास्तुविद् रजिस्टर से हटा दिए :-

- (i) श्री सुरेश के. धवलीकर, सीए/1990/12928, पूणे;
- (ii) श्री वी. ए. देयो, सीए/1986/9759, पूणे;
- (iii) श्री जी. सी. गुप्ता, सीए/1982/7061, फरीदाबाद;

- (iv) श्री वी. एम. तारापोरे, सीए/1985/9158, मुम्बई;
- (v) श्री सुरेश डब्ल्यू. पटेल, सीए/1981/6162, मुम्बई;
- (vi) श्री आर. के. श्रीवास्तव, सीए/1992/14606, लखनउ;
- (vii) श्री टी. एम. राव, सीए/1975/2085, हैदराबाद;
- (viii) श्री वाई. एस. पटूकाले, सीए/1993/16282, पूणे;
- (ix) श्री दरबार सिंह, सीए/1991/13716), भोपाल; तथा
- (x) श्री तनमय मजूमदार, सीए/1991/14285), दिल्ली।

3.0 वास्तुविदों का पंजीकरण :

परिषद् वास्तुविद् अधिनियम की धारा 25 के अधीन वास्तुविद् के रूप में ऐसे व्यक्ति का नाम पंजीकृत करती है, जो भारत में रहता हो या वास्तुकला का व्यवसाय करता हो और जो मान्यता प्राप्त वास्तुकलात्मक अर्हता रखता है। वास्तुविद् के रूप में पंजीकरण करने हेतु आवेदन, पंजीकरण का नवीकरण शुल्क सहित ऑनलाइन स्वीकार किए जा रहे हैं।

वर्ष के दौरान परिषद् ने 10439 व्यक्तियों का वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण किया। इस प्रकार 31 मार्च, 2018 तक वास्तुकला परिषद् में कुल 92492 व्यक्तियों का वास्तुविदों के रूप में पंजीकरण किया गया है। इस प्रकार, 31 मार्च, 2018 तक 77349 वास्तुविदों के वास्तुकला परिषद् में वैध पंजीकरण हैं ।

4.0 संपूर्ण भारत वर्ष में 10+2 स्तर पर "वास्तुकला" विषय को वैकल्पिक विषय के रूप में शुरुआत :

परिषद् ने छात्रों को अपने तकनीकी कौशल और वास्तुकला पाठ्यक्रम में अनुकूल क्षमता को बढाने में सक्षम बनाने के लिए 10+2 स्तर पर "वास्तुकला" पाठयक्रम की शुरूआत के लिए मॉडल पाठ्यक्रम तैयार किया ताकि जब वे बाद के स्तर पर इस प्रकार के पाठ्यक्रम को पढने का विकल्प चुने। परिषद् ने संबंधित शिक्षा बोर्डों को मामले में उचित निर्देश जारी करने हेतु मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को पाठ्यक्रम प्रस्तुत किया है।

परिषद् के अध्यक्ष, ने वास्तुकला **विषय** को 10+2 स्तर पर शामिल करने के लिए निदेशक, एनसीआरटी से भी मुलाकात की है। अध्यक्ष, सीबीएसई से भी छात्रों के हित में आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया गया था।

5.0 बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड में संशोधन :

केन्द्र सरकार ने बी.आर्क. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु पात्रता मानदंड में संशोधन को निम्नानुसार अनुमोदित किया है :

"किसी भी उम्मीदवार को वास्तुकला पाठ्यक्रम में प्रवेश नहीं दिया जाएगा, जब तक कि उसने 10+2 की परीक्षा को भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित में 50 प्रतिशत अंकों के साथ तथा 10+2 स्तर की परीक्षा में कुल मिलाकर 50 प्रतिशत अंक से परीक्षा उत्तीर्ण की हो।"

उक्त पात्रता शैक्षिक सत्र 2019-2020 से प्रभावी होगी।

6.0 वास्तुकला परिषदु और उर्जा दक्षता ब्यूरो के मध्य समझौता ज्ञापन :

वास्तुकला परिषद् के अध्यक्ष ने उर्जा दक्षता ब्यूरो (बीईई) (विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार के अधीन सांविधिक प्राधिकरण) के साथ दिनांक 26.06.2017 को वास्तुविदों द्वारा भवनों के डिजाइन तथा नियोजन में उर्जा संवहन भवन कोड के कार्यान्वयन हेतु एक साथ काम करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

बीईई, **परिषद्** को वास्तुविदों, संकाय सदस्यों और छात्रों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम के संचालन के लिए धनराशि और विशेषज्ञ ⁄कुशल प्रशिक्षक प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। **परिषद** ने ईसीबीसी पर 5 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें पुणे में दो तथा भुवनेश्वर में 3 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किये गए।

7.0 <u>बैंगलुरू में वास्तुकला प्रशिक्षण और अनुसंधान परिषद् के लिए भूमि का क्रय</u>:

परिषद् को बैंगलुरू में प्रशिक्षण और अनुसंधान केन्द्र स्थापित करने के लिए बनशंकरी, बैंगलुरू में लगभग 3.5 एकड में सिविक अमेनिटीज साइट प्लाट आवंटित किया गया है। इस प्रयोजन के लिए, **परिषद्** ने लीज राशि के लिए बैंगलुरू विकास प्राधिकरण को 16 करोड रूपये की राशि जमा की है तथा उम्मीद है कि भूमि का पंजीकरण एवं कब्जा जल्द कर लिया जाएगा।

परिषद् को भुवनेश्वर में ओडिसा सरकार द्वारा एक प्लॉट का आबंटन भी मिलने वाला है। **परिषद्** ने किराए पर जगह लेकर भुवनेश्वर में अपना टीआरसी चालू किया है।

8.0 <u>वास्तुकला परिषद् के वास्तुकला शिक्षा न्यूनतम मानक विनियम, 2017 का अनुमोदन</u> :

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 45 के साथ पठित धारा 21 के प्रावधानों के अनुसार, वर्ष 1983 में बने मौजूदा विनियमों को निरस्त करने के लिए वास्तुविद् परिषद् ने (वास्तुकला शिक्षा न्यूनतम मानक) विनियम, 2017 को बनाया। उक्त को केन्द्र सरकार के अनुमोदनार्थ मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार को भेजा गया है और अनुमोदन अभी भी प्रतीक्षित है।

9.0 केन्द्र सरकार द्वारा चुनाव अधिकरण का गठन :

मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 01.06.2017 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में चुनावी विवादों का निर्णय करने के लिए वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 5(2) के अधीन चुनाव अधिकरण का गठन किया गया। अधिकरण में अध्यक्ष के रूप में न्यायाधीश एम.सी.गर्ग (सेवानिवृत) और सदस्य के रूप में श्री वी. एस. ऑबराय, आईएएस (सेवानिवृत) एवं श्री अनूप दवे, वास्तुविद् शामिल हैं।

वास्तुविद् बलबीर वर्मा द्वारा दायर चुनाव याचिका को रद्द कर दिया गया और श्री आर. रामाराजू की चुनाव याचिका इय टिप्पणी के साथ निपटान कर दिया गया कि इनके संस्थान का नाम अब चुनाव नामावली में शामिल कर लिया गया है। वास्तुविद् डी.वी.सोलोमन की चुनाव याचिका पर निर्णय नहीं लिया जा सका क्योंकि अधिकरण का कार्यकाल समाप्त हो चुका है।

10.0 <u>वास्त्रविदों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार की शिकायतें</u>:

प्रत्येक वास्तुविद् से यह अपेक्षा की जाती है कि वह वास्तुविद् (वृत्तिक आचरण) विनियमावली, 1989 के उपबंधों का पूर्णतः पालन करेगा। वास्तुविद् अधिनियम में यह व्यवस्था की गई है कि यदि किसी वास्तुविद् को जांच-पड़ताल और सुनवाई का अवसर प्रदान किए जाने के बाद वृत्तिक कदाचार का दोषी पाया जाता है तो उसके विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी।

परिषद् द्वारा अपनी 68वीं बैठक में वास्तुविदों के विरूद्ध व्यावसायिक कदाचार संबंधी 14 शिकायतों पर विचार किया गया तथा 4 शिकायतों को अनुशासन समिति को जांच हेतु सौंपा गया, 9 शिकायतों को खारिज कर दिया गया तथा 1 शिकायत को अगली बैठक के लिए स्थगित कर दिया गया।

11.0 अनुशासन समिति :

<u>वास्तुकला</u> **परिषद्** नियम, 1973 के अनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना के द्वारा अनुशासन समिति का गठन वास्तुविदों के खिलाफ प्राप्त शिकायतों की जांच के लिए किया जाता है। केन्द्र सरकार ने दिनांक 03.08.2017 के राजपत्र अधिसूचना के अनुसरण में अनुशासनात्मक समिति का पुनर्गठन किया और श्रीमती माला मोहन, अपर महानिदेशक (वास्तु.), एमईएस, रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, को अनुशासन समिति के सदस्यं के रूप में शामिल किया।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान समिति की दो बार अर्थात 3, अक्टूबर, 2018 और 28, नवम्बर, 2018 को समिति को निर्दिष्ट शिकायतों की जांच करने के लिए बैटक हुई।

12.0 विदेशी वास्तुकला योग्यताओं की मान्यता पर समितिः

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 की धारा 15 के अनुसार, केन्द्र सरकार वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के उद्देश्यों के लिए वास्तुविद् परिषद् से परामर्श करने के बाद विदेशी वास्तुकला योग्यताओं को मान्यता देने के लिए सशक्त है।

परिषद् ने केन्द्र सरकार से प्राप्त संदर्भो पर विचार करने और अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए सिमिति का गठन किया। रिपोर्ट के तहत वर्ष के दौरान सिमिति ने 7 और 8 सितम्बर, 2017 को बैठक आयोजित की तथा संबंधित मामलों पर विचार किया और अपनी रिपोर्ट परिषद् को प्रस्तुत की। सिमिति ने विदेशी अर्हता वाले आवेदकों से आवेदन प्राप्त करने के लिए प्रारूप भी तैयार किया है।

13.0 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना की आपूर्ति :

परिषद् के सक्षम प्राधिकारी ने सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के अधीन श्री दीपक कुमार, प्रशासनिक अधिकारी को केंद्रीय जन सूचना अधिकारी के रूप में तथा श्री राज कुमार ओबेरॉय, कुलसचिव, को अपीलीय प्राधिकारी के रूप में नियुक्त किया है।

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान, परिषद् द्वारा 81 आर.टी.आई. आवेदन कर्ताओं को जानकारी प्रदान की तथा 7 प्रथम अपीलों का निपटान किया गया।

14.0 शैक्षिक-सत्र 2017-2018 में नई संस्थाओं का अनुमोदन

रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान बैचलर ऑफ आर्कीटेक्चर पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए 22 नए संस्थानों को अनुमोदन प्रदान किया गया तथा वर्तमान 6 संस्थानों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों का अनुमोदन प्रदान किया गया।

इस प्रकार, वर्ष 2017-2018 में परिषद् के अनुमोदन से वास्तुकला में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम प्रदान करने वाले संस्थानों की कुल संख्या बढ़कर 468 हो गई।

परिषद् द्वारा मंजूर छात्रों की वार्षिक प्रवेश संख्या अनुमानतः पूर्वस्नातक (यूजी) स्तर पर लगभग 24741 और स्नाकोत्तर स्तर पर 1640 है।

[भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 5

15.0 शिक्षा-सत्र 2017-2018 से आगे अनुमोदन का विस्तार :

वास्तुकला परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2017-2018 के लिए यूजी और पीजी पाट्यक्रमों के अनुमोदन या अन्यथा की अवधि निम्नलिखित ढंग से बढाई:

- (i) संस्थाएं जिनमें बी. आर्की. पाट्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 408
- (ii) संस्थाएं जिनमें एम. आर्की. पाठ्यक्रम के लिए अनुमोदन की अवधि बढ़ाई गई : 64
- (iii) संस्थाएं जिनमें कोई ''प्रवेश नहीं'' घोषित किया गया : 12
- (iv) संस्थाएं जिनकी 'मान्यता वापस' ली गई : शून्य

परिषद् ने शिक्षा-सत्र 2018-2019 के लिए उन संस्थाओं का निरीक्षण करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है जिनका निरीक्षण किया जाना है।

16.0 वास्तुकला संस्थानों में दाखिल बी.आर्क पाठ्यक्रम के छात्रों को पंजीकरण नंबर जारी करना :-

परिषद् संस्थानों द्वारा दाखिल छात्रों को पंजीकरण संख्या जारी कर रही है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि छात्रों के पास परिषद् द्वारा निर्धारित पात्रता है तथा साथ ही वे परिषद् द्वारा प्रदत्त इनटेक के अंतर्गत दाखिल हुए हैं। परिषद् संस्थानों द्वारा प्रस्तुत छात्रों से संबंधित जानकारी के आधार पर नामांकन संख्या ऑनलाइन जारी कर रही है।

17.0 <u>राष्ट्रीय वास्तुकला एप्टीटयुड परीक्षा (नाटा)</u> :

ऐसे भावी छात्रों के लिए जो वास्तुकला पाट्यक्रम में दाखिला लेने के इच्छुक हैं, उनके लिए नाटा-2017 आयोजित किया गया था। नाटा परीक्षा 2017 की स्थिति निम्नानुसार है :-

- क. आवेदन करने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या : 42098
- ख. परीक्षा में भाग लेने वाले उम्मीदवारों की कुल संख्या : 37246
- ग. उत्तीर्ण उम्मीदवारों की कुल संख्या : 24540

18.0 प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजनः

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम :

सीओए-टीआरसी ने पिछले वर्ष के दौरान पुणे, भुवनेश्वर तथा अन्य शहरों में शिक्षकों और पेशेवर वास्तुविदों के लिए 32 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा 5 ईसीबीसी कार्यशालाओं को आयोजित किया। इन कार्यक्रमों में देश भर के 741 प्रतिभागियों ने भाग लिया। कार्यक्रमों का विवरण निम्न प्रकार है:-

1. शिक्षक प्रशिक्षण कार्यक्रम :

क्र.सं.	कार्यक्रम का नाम	संयोजक का नाम	दिनांक	प्रतिभागी संख्या
1.	डोक्यूमेन्टैशन एण्ड टैक्निकल राइटिंग इन आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बाबू बनारसी दास यूनिवर्सिटी, लखनउ	प्रो मोहित कुमार अग्रवाल	12 से 16 जून, 2017	30
2.	फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम , सीओए-टीआरसी, पुणे	प्रो जयश्री देशपाण्डे	17 से 21 जुलाई, 2017	21
3.	रीसेंट एडवांस इन बिल्डिंग मैटिरियलस, कन्स्ट्रक्शन टैक्नोलोजीस एण्ड आर्किटेक्चरल स्टाइल, एमबीएस स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, वृहत नोएडा	प्रो वीरेश कुमार बग्गा	24 से 28 जुलाई, 2017	35
4.	दी बी.डी.2 वर्कशोप : फ्रोम बेसिक डिजाइन टूवर्डस डिजाइन, सीओए-टीआरसी, पुणे	श्रीमती दर्पणा अथाले	31 से 04 अगस्त, 2017	07
5.	दी टीचिंग - लर्निंग प्रोसेस इन आर्किटेक्चरल डिजाइन फ्रोम बेसिक डिजाइन टू थीसिस प्रोजेक्ट, विशप जीरोमी स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड डिजाइन, कोल्लम	प्रो गंगा कृष्णन	21 से 25 अगस्त, 2017	28
6.	वुमन इन आर्किटेक्चर , रिज्जवी कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुम्बई	प्रो प्रदन्या चौहान	21 से 26 अगस्त, 2017	15

7.	नरेशन ऑफ दी बिल्ड मैस , सीओए-टीआरसी, पुणे	श्रीमती फातिमा कबीर	28 अगस्त से 01 सितम्बर, 2017	21
8.	रिजनल फैकल्टी इंडक्शन कार्यक्रम, दयानन्द सागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर	प्रो रामा सुब्रमण्यम	11 से 15 सितम्बर, 2017	38
9.	वैल्यू बैस्ड मैनेजमेन्ट, डिपार्टमेन्ट ऑफ आर्किटेक्चर, स्कूल ऑफ बिल्डिंग एण्ड एन्वाइरन्मेन्ट, सत्यभामा यूनवर्सिटी, चैन्नई	डॉ एन. ज्योतिलक्ष्मी	11 से 15 सितम्बर, 2017	09
10.	डोक्यूमेन्टैशन ऑफ हेरिटेज बिल्डिंग, वुमनस एज्यूकैशन सोसाइटीज श्रीमती मनोरमाबाई मुन्डले, कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नागपुर	प्रो नीता लाम्बे	18 से 22 सितम्बर, 2017	11
11.	डाइ लॉग - दी कम्युनिकेशन स्किल वर्कशोप फॉर इफेक्टिव टिचिंग , सीओए-टीआरसी, पुणे	श्रीमती दर्पणा अथाले	25 से 29 सितम्बर, 2017	16
12.	डिजाइन डाइलेक्ट, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर सिद्धगंगा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, तुमकुर, कर्नाटक	प्रो सागर टीएस	30 अक्टुबर से 03 नवम्बर, 2017	22
13.	मेटामॉर्फिसस, सीओए-टीआरसी, पुणे,	प्रो सागर टीएस	13 से 17 नवम्बर, 2017	19
14.	लर्निंग फ्रोम इंडियन ट्रैडिशन : बिल्ट एण्ड अनबिल्ट, भारती विद्यापीट कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, मुम्बई,	प्रो रितु देशमुख	27 नवम्बर से 01 दिसम्बर, 2017	38
15.	आर्कि टेक्स्ट, दयानन्द सागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर, कर्नाटक	डॉ रामा सुब्रमण्यम	11 से15 दिसम्बर, 2017	21
16.	एनर्जी इफिसेंट बिल्डिंग डिजाइन, डिपार्टमेन्ट ऑफ आर्किटेक्चर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जयपुर, राजस्थान	डॉ नन्द कुमार	18 से 22 दिसम्बर, 2017	19
17.	इन्टिग्रेटिव अप्रोच टू डिजाइन पेडगोगी, एमवीपी समाज कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, नासिक,	प्रो प्राजक्ता बस्ति	18 से 22 दिसम्बर, 2017	10
18.	रेशनल एण्ड सिस्टमेटिक अप्रोच टुवर्ड रिस्पोंसिव एण्ड क्वालिटेटिव थीसिस ऐट यू.जी. लेवल, स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, डी.वाई. पाटिल कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलोजी, कोल्हापुर,	प्रो मधुगंधा मिथारी	08 से12 जनवरी, 2018	24
19.	रीजनल फैकल्टी इन्डक्शन प्रोग्राम, स्कूल ऑफ प्लानिंग एण्ड आर्किटेक्चर, जवाहरलाल नेहरू आर्किटेक्चर एण्ड फाइन आर्ट यूनिवर्सिटी, हैदराबाद, तेलंगाना	डॉ कविता दर्यानी राव	08 से 12 जनवरी, 2018	45
20.	आर्किटेक्चर एज ए क्राफ्ट , पिल्लै कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, न्यू पनवेल,	प्रो प्रीति पंसारे	08 से 12 जनवरी, 2018	15
21.	कन्सर्वेशन ऑफ आर्किटेक्चर हेरिटेज, मैसूर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, मैसूर	डॉ जयप्रकाश चडचन	15 से19 जनवरी, 2018	19
22.	डिवेलप्पेन्ट रेग्युलेशनस एण्ड बिल्ट इन्वाइरन्मट, डिपार्टमेन्ट ऑफ आर्किटेक्चर, मालवीय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, जयपुर	डॉ सतीश पीपरेला	22 से 26 जनवरी, 2018	17
23.	डिजीटल आकिटेक्चर , तेजस कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, त्रिशूर, केरल	प्रो एस. थांगाभास्कर	22 से 26 जनवरी, 2018	13

	कुल	प्रतिभागी	<u> </u>	710
32.	वास्तु शास्त्र, सीओए-टीआरसी, पुणे,	श्रीमती शशिकला अनन्त	19 से 23 मार्च, 2018	21
31.	डोक्युमेन्टेशन एण्ड टेक्नोलोजी राइटिंग, सीओए-टीआरसी, पुणे,	प्रो सागर टीसी	12 से 16 मार्च, 2018	08
30.	डायलॉंग : दी कम्यूनिकेशन स्किलस वर्कशोप फोर इफेक्टिव टीचिंग, जे.बी.आर. आर्किटेक्चर कॉलेज, हैदराबाद, तेलंगाना	प्रो जे. गायत्री	05 से 09 मार्च, 2018	16
29.	डिकोडिंग ऑफ स्पेस एक्सपीरिएंश, पद्मभूषण डॉ वसंतदादा पाटिल कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे,	प्रो विजया श्रीनिवासन	26 फरवरी से 02 मार्च, 2018	23
28.	आर्किटेक्चर फिनामीनोलॉजी, सीओए-टीआरसी, पुणे,	श्रीमती फातिमा कवीर	19 से 23 फरवरी, 2018	10
27.	सस्टेनेबल कैंपस प्लानिंग एण्ड लैन्डस्केप डिजाइन, डॉ भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फोर वुमेन, पुणे,	प्रो स्वाति सहस्रबुद्धि	12 से 16 फरवरी, 2018	44
26.	ग्रीन बिल्डिंग - इन टुडेस आर्किटेक्चर, एमइएएसआई, चैन्नई, तमिलनाडु	डॉ ए.एन. सचितानन्द	05 से 09 फरवरी, 2018	21
25.	रिसर्च इन आर्किटेक्चर, सीओए-टीआरसी, पुणे,	डॉ उज्जवला चक्रदेव	05 से 09 फरवरी, 2018	30
24.	साइटक्राफ्ट, अलाना कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, पुणे,		29 जनवरी से 02 फरवरी, 2018	44

2. इन्ट्रोडक्शन टू प्रोवीजंस इन एनर्जी कान्सर्वेशन बिल्डिंग कोड (इसीबीसी)" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशाला

क्र.सं.	स्थान एवं दिनांक	प्रतिभागियों की सं.
1.	भुवनेश्वर 17 से 19 जनवरी, 2018	20
2.	पुणे 22 से 24 जनवरी, 2018	21
3.	भुवनेश्वर 7 से 9 मार्च, 2018	17
4.	भुवनेश्वर 25 से 27 मार्च, 2018	14
5.	पुणे 26 से 28 मार्च, 2018	10

19. राष्ट्रीय वास्तुकला शोध-प्रबंध में विशिष्टता पुरस्कार कार्यक्रम :

🕨 स्नातक :

वास्तुकला परिषद् ने सीओए-टीआरसी के माध्यम से युवा प्रतिभाशाली उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करने के लिए पूर्व-स्नातक शोध-प्रबंध परियोजनाओं हेतु वास्तुकला शोध प्रबंध कार्यक्रम में विशिष्टता हेतु 12वां राष्ट्रीय पुरस्कार प्रारम्भ किया। आंचलिक जूरी निम्नलिखित स्थानों पर आयोजित किए गए:-

मण्डल	स्थान	संयोजक कॉलेज
1	भोपाल	मौलाना आजाद नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलोजी, भोपाल
2	भुवनेश्वर	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, केआईआईटी यूनिवर्सिटी, भुवनेश्वर
3	पुणे	महर्षि कार्वी स्त्री शिक्षा संस्था डॉ. भानुबेन नानावती कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर फोर वुमेन, पुणे
4	बैंगलोर	दयानन्द सागर स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, बैंगलोर
5	चैन्नई	स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर एण्ड प्लानिंग, अन्ना यूनिवर्सिटी, चैन्नई

आचंलिक जूरी के निम्नलिखित सदस्य थे:-

1.	मण्डल 1	वा. रंजना मित्तल, वा. एस.एस. रे, वा. के. जयसिम
2.	मण्डल 2	वा. देवल कुमार राजवंशी, वा. राकेश सिंह कुशवाहा, वा. सुजीत नायक
3.	मण्डल 3	वा. बीएस भूषण, वा. श्रीनिवास मुर्थी, वा. नीरज गुप्ता
4.	मण्डल 4	वा. राजेन्द्र कुमार, वा. मनोज माथुर, वा. अर्चना सैकिया
5.	मण्डल 5	वा. एन. रामास्वामी, वा. निशांत मनापुरे, वा. मीना मनी

नेशनल जूरी का आयोजन इंडिया हैवीटेट सेंटर, नई दिल्ली में हुआ। नेशनल फाइनल के जूरी के सदस्य थे वा. आर. चन्द्रशेखर, वा. चरणजीत एस. शाह, वा. उजन घोष।

🕨 स्नातोत्तर :-

परिषद् द्वारा सीओए-टीआरसी के माध्यम से स्नाकोत्तर शोध-प्रबंध परियोजनाओं के लिए शोध-प्रबंध में विशिष्टता 04 राष्ट्रीय पुरस्कार कार्यक्रम का आरंम्भ देशभर से वास्तुकला में स्नातोत्तर पाट्यक्रमों के छात्रों को प्रेरित करने तथा उनका उत्साहवर्धन करने तथा वास्तुकला स्कूलों में अनुसंधान प्रक्रिया के विकास करने के उद्देश्य के साथ किया गया।

नेशनल जूरी का आयोजन इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में हुआ। नेशनल फाइनल के लिए जूरी के सदस्य थे वा. प्रथा रंजन दास, वा. उत्पल कुमार शर्मा तथा वा. एस.के. दास।

पूर्व स्नातक और स्नातकोत्तर कार्यक्रमों का पुरस्कार वितरण समारोह इंडिया हैबीटेट सेंटर, नई दिल्ली में आयोजित किया गया। डॉ सत्य पाल सिंह, माननीय राज्य मंत्री, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार और श्री कृष्ण पाल गुर्जर, माननीय राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार, मुख्य अतिथि और श्री सत्येन्द्र जैन, माननीय स्वास्थ्य और शहरी विकास मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सम्मानित अतिथि थे। माननीय मंत्रियों द्वारा संबंधित विजेताओं को पुरस्कार वितरित किए गए।

20.0 सरकारी विभागों/उपक्रमों द्वारा वास्तुविदों का चयन :

वास्तुकला परिषद् द्वारा अनेक सरकारी प्राधिकरणों को यह लिखित रूप में कहा गया है कि वे केवल वास्तुकला प्रतियोगिता दिशा-निदेशों के अनुरूप ही वास्तुविदों की नियुक्तियां करें और निविदा आधार पर निम्नतम शुल्क के भुगतान पर वास्तुविदों की नियुक्ति न करें।

अध्यक्ष, सीओए, परिषद् द्वारा निर्धारित शुल्कों को सरकार द्वारा अपनाने पर विचार करने तथा सलाहकारों की नियुक्ति प्रक्रिया में भारत सरकार के मैनुअल में भी संशोधन हेतु सचिव, राजस्व विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार से मिले। अध्यक्ष, सीओए मामले के संबंध में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा-परीक्षक से भी मिले।

21.0 वास्तुविद् अधिनियम, 1972 को लागू करनाः

वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के धारा अनुच्छेद 36 और 37 के अधीन वास्तुविद् के रूप में अयथार्थ रूप प्रस्तुत करने के साथ-साथ वास्तुकला की पद्वी और शैली का दुरूपयोग निषेध है और इस का उल्लंघन एक दंडनीय अपराध है। वास्तुविद् की पद्वी और शैली के दुरूपयोग के संबंध में शिकायत मिलने पर परिषद् द्वारा धारा 39 के अधीन प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट के समक्ष अपराधों का संज्ञान लेने के लिए शिकायत दर्ज करायी गई।

परिषद् उन व्यक्तियों के विरूद्ध मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट, नई दिल्ली के समक्ष दर्ज की गई आपराधिक शिकायतों का तेजी से अनुसरण कर रही है जिन्होंने वास्तुविद अधिनियम, 1972 के उपबंधों का उल्लंघन किया है। वर्तमान में 14 शिकायतें तथा 2 अपील लंबित हैं। [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 9

22.0 प्रकाशनः

परिषद् द्वारा अपनी वास्तुकला पत्रिका "टाइम स्पेस एंड पीपल" लाइफ स्टाइल मीडिया, नई दिल्ली के सहयोग से मुद्रित एवं प्रकाशित की जा रही है।

हालांकि, अक्टूबर 2017 माह से, उक्त फर्म ने इसे छापने तथा प्रकाशित करने में असमर्थता व्यक्त की है। परिषद् ने संबंधित प्रिंटरों से अभिरूचि प्रकटन मांगे है ताकि पत्रिका का प्रकाशन जारी रखा जा सके।

परिषद् ने भारत में वास्तुकला कॉलेजों हेतू निम्नलिखित पुस्तकें प्रकाशित एवं वितरित भी की हैं :-

• आर्काइविंग आर्किटेक्चर थीसिस-2012

निम्नलिखित पुस्तक तैयार है तथा श्लीघ ही मुद्रित एवं प्रकाशित की जायेगी :

• आर्काइविंग आर्किटेक्चरल थीसिस 2015

निम्नलिखित रेफर्ड जर्नल मुद्रण की प्रक्रिया में है :

• जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्टचर (जे.सी.ओ.ए.)- हाऊसिंग

निम्नलिखित जर्नल की समकक्ष समीक्षा का कार्य प्रगति पर है :

- जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्टचर (जे.सी.ओ.ए.)- निरन्तर विकास
- जर्नल ऑफ काउंसिल ऑफ आर्किटेक्टचर (जे.सी.ओ.ए.)- हेरिटेज एण्ड कंर्जेवेशन

आभार :

परिषद् केंद्रीय सरकार, तथा केन्द्र सरकार के अधिकारियों, सभी राज्य सरकारों और सभी वास्तुकला विद्यालयों को वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के कार्यान्वयन में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग के लिए उनका धन्यवाद और प्रशंसा करती है।

परिषद् अपने पदाधिकारियों और वास्तुकला परिषद् के सदस्यों, विशेषज्ञों, लेखापरीक्षकों, अधिवक्ताओं, अन्य व्यावसायिक निकायों, प्रैक्टिस कर रहे वास्तुविदों, शिक्षाविदों और सभी विज्ञापन दाताओं के प्रति वास्तुविद् अधिनियम,1972 के उद्देश्यों को बढ़ावा देने में उनके द्वारा प्रदत्त सहयोग, मार्ग-दर्शन, सलाह तथा समर्थन के लिए भी आभार व्यक्त करती है ।

परिषद् अपने अधिकारियों, कर्मचारियों तथा उन सभी व्यक्तियों के प्रति आभार व्यक्त करती है जिन्होंने वर्ष 2017-2018 के दौरान उसे उपयोगी सेवाएं प्रदान कीं।

दिनांकः 16.10.2018

आर.के. ओबराय, रजिस्ट्रार

[विज्ञापन-III/4/असा./61/19]

वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

सी-37, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली.110001,

फोन : 23415811, 23416858, 23415778, 23411014

फेक्स : 91-11-23417925

ई-मेल : vkverma@vkvermaco.com

pverma@vkvermaco.com

वेबसाइट : www.vkvermaco.com

लेखापरीक्षक रिपोर्ट

हमने "वास्तुकला परिषद्", इंडिया हैविटेट सेंटर, कोर 6ए, प्रथम तल, लोदी रोड, नई दिल्ली-110003 के 31 मार्च, 2018 के संलग्न तुलन-पत्र तथा 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के आय-व्यय लेखा एवं प्राप्ति तथा अदायगी लेखा, जिसमें परिषद् के कार्यालयों के सभी लेखे शामिल हैं, की परीक्षा कर ली है । ये वित्तीय विवरण परिषद् के प्रबंधन की जिम्मेदारी है और हमारी जिम्मेदारी लेखापरीक्षा पर आधारित इन वित्तीय विवरणों के बारे में राय व्यक्त करना है ।

हमने आजतक अधिसूचित भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी सामान्यतः स्वीकृत किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुसार लेखापरीक्षा की हैं। इन मानकों के अनुसार यह अपेक्षित है कि हम लेखापरीक्षा की योजना एवं निष्पादन ऐसा उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए करते हैं तािक वित्तीय विवरण किसी विशेष गलत विवरण से मुक्त रहे। लेखापरीक्षा में नमूना के आधार पर जांच करना और वित्तीय विवरणों में रािश एवं प्रकटनों का लेखा परीक्षा साक्ष्य शामिल होता है। चयनित प्रक्रिया लेखापरीक्षक के निर्णय पर आधारित होती है जिसमें धोके या गलती से वित्तीय

विवरणों के गलत भौतिक विवरण के जोखिम का मूल्यांकन शामिल होता है। उन जोखिम मूल्यांकनों के निर्माण में लेखापरिक्षक लेखापरीक्षा प्रक्रियाओं के डिजाइन के अनुसार वित्तीय विवरणों की उचित प्रस्तुतीकरण और निर्माण के लिए दिए गए आंतरिक नियंत्रणों का उपयोग करता है जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं किन्तु आंतरिक नियंत्रणों की प्रभाव-शीलता पर मत व्यक्त करने के उद्देश्य के लिए नहीं हैं। लेखापरीक्षा में, प्रयुक्त लेखाकरण सिद्धांतों का निर्धारण तथा प्रबंधन द्वारा लगाए गए महत्वपूर्ण अनुमान और समूचे वित्तीय विवरण की प्रस्तुति का मूल्यांकन करना भी शामिल होता है । हमें विश्वास है कि अनुलग्नक सं. 14 - लेखाओं के भाग के रूप में महत्वपूर्ण लेखाकरण नीतियां नोट सं. 02 से 19 तक हमारे द्वारा की गई लेखापरीक्षा हमारी राय के लिए उचित आधार प्रस्तुत करती है ।

हम यह भी रिपार्ट देते हैं कि :

- 1. हमने वे सभी सूचनाएं एवं स्पष्टीकरण प्राप्त कर लिए हैं जो हमारी जानकारी और विश्वास के अनुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक थे;
- 2. हमारी राय में, हमने लेखा बहियों की जो जांच की है उससे यह प्रकट होता है कि परिषद् ने वास्तुविद् अधिनियम, 1972 द्वारा अपेक्षित रूप में उचित लेखा बहियां रखी हुई हैं;
- 3. तुलन-पत्र तथा आय-व्यय लेखा और प्राप्ति एवं अदायगी लेखा, लेखा बहियों से मेल खाते हैं; और
- 4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और हमें जो स्पष्टीकरण दिए गए हैं उनके अनुसार संलग्न अनुसूचियों सहित और लेखाकरण नीतियों के भाग के रूप में टिप्पणियों के साथ पठित उक्त लेखा विवरण द्वारा-
 - (क) 31 मार्च, 2018 को परिषद् की कार्यस्थिति से संबंधित तुलन-पत्र और
 - (ख) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के लिए व्यय से अधिक आय संबंधित आय-व्यय लेखे।
 - (ग) 31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष के प्राप्ति तथा अदायगी लेखे का सही एवं वास्तविक चित्र प्रस्तुत किया गया है ।

कृते वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

एफ आर एन : 000386 एन

(सीए. आर.सी. हसीजा)

भागीदार;

सदस्यता सं. 054809 दिनांकः 22.09.2018 स्थानः नई दिल्ली

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)

(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च 2018 को समाप्त वर्ष का आय-व्यय

(राशि रुपए में)

31 नाप 2016 का तनारा पर्य का जाव-व्यव			(सारा रुपए म)
	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
<u>आय</u>			
फीस	8	31753754.00	29758239.00
अन्य आय	9	109604584.38	96225739.87
अर्जित ब्याज	10	26083528.00	22713800.00
कुल (क)		16,74,41,866.38	148697778.87
<u>व्यय</u>			
स्थापना व्यय	11	16748357.00	14182072.00
प्रशासनिक व्यय	12	13707576.44	17528301.21
शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	13	1313531.00	977372.00
मूल्यइास	4	1204952.00	2122141.00
कुल (ख)		32974416.44	34809886.21
व्यय से अधिक आय का शेष (क-ख)		134467449.94	113887892.66
	1	II II	

अधिशेष तथा घाटा लेखा में अंतरित		134467449.94	113887892.66
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,

कृते वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

एफ आर एन : 000386 एन

ह. ह. ह.

(र्राजस्ट्रार) (प्रेसीडेंट) (सीए. आर.सी. हसीजा)

स्थान : नई दिल्ली सदस्यता सं. 054809

दिनांक : 22.09.2018

31 मार्च 2018 को तुलन-पत्र

(राशि रुपए में)

	अनुसूची	चालू वर्ष	गत वर्ष
समग्र / पूंजीगत निधि तथा देयताएँ			
भारत सरकार से उद्दिष्ट निधियाँ	1	150000.00	150000.00
चिंहित निधि	2	558035947.00	422161958.00
चालू देयताएँ	3	162805551.00	131584459.00
अधिशेष / घाटा लेखा	7	102276700.28	82598613.34
कुल		823268198.28	636495030.34
<u>परिसंपत्तियाँ</u>			
स्थायी परिसंपत्तियाँ	4	9777810.00	8270326.00
निवेश	5	353591640.00	347157038.00
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम	6	459898748.28	281067666.34
कुल		823268198.28	636495030.34
लेखाकरण नीतियाँ तथा लेखाओं पर टिप्पणियाँ	14		

वास्तुकला परिषद् के लिए और उनकी ओर से

ह.

इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार,

कृते वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी

सनदी लेखाकार

एफ आर एन : 000386 एन

ह.

(सीए. आर.सी. हसीजा)

सदस्यता सं. 054809

(रजिस्ट्रार) (प्रेसीडेंट) स्थान : नई दिल्ली

दिनांक : 22.09.2018

ह.

वास्तुकला परिषद् : नई दिल्ली

(भारत की संसद द्वारा पारित वास्तुविद् अधिनियम, 1972 के तहत स्थापित)

(लाभेतर संगठन-सरकारी प्राधिकरण के रूप में स्थापित)

31 मार्च, 2018 को समाप्त वर्ष का प्राप्ति तथा अदायगी लेखा

(राशि रुपए में)

		प्राप्तियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष		अदायगियाँ	चालू वर्ष	गतवर्ष
1.		रोकड जमा			1.	व्यय		
	क)	नकदी शेष	1,31,517.00	28,506.00	क)	स्थापना व्यय (अनुसूची 11 के अनुसार)	167,48,357.00	141,82,072.00
	ख)	बैंक शेष			ख)	प्रशासनिक व्यय (अनुसूची 12 के अनुसार)	137,07,576.04	175,28,301.21
		1. चालू खाते में	5,26,408.77	1,34,983.01	ग)	शिक्षा व अभ्यास के उन्नय संबंधी व्यय	13,13,531.00	9,77,372.00
		2. बचत खाते में	238,52,582.42	85,21,144.26		(अनुसूची 13 के अनुरूप)		
		3. ड्राफ्ट हाथ में	15,32,414.00	4,19,330.00				
2.		प्राप्त निधियाँ			2.	विभिन्न परियोजनाओं के लिए निधियों से की गई अदायगियाँ		
	क)	मूल्यांकन फीस	797,00,000.00	341,50,000.00.00	क)	नाटा व्यय	186,14,516.00	370,28,583.00
	ख)	निर्णय की समीक्षा का :गुल्क	23,50,000.00	39,50,000.00	ख)	मूल्यांकन एवं निरीक्षण व्यय	199,29,160.00	250,04,682.00
	ग)	संस्थान से दण्ड ⁄ जुर्माना	54,85,000.00	73,90,000.00	ग)	मध्यस्थता व्यय	0.00	.00
	ਬ)	माध्यस्थता फीस	76,500.00	93,000.00	ਬ)	वास्तुकला निर्देशिका व्यय	0.00	.00
	ਭ.)	संस्थान के नाम/साइट में परिवर्तन/समाप्ति	23,00,000.00	8,00,000.00	,	ů		
		शुल्क			ਭ.)	प्रकाशन व्यय	1,06,698.00	22,77,346.00
					च)	थीसिस अवार्ड कार्यक्रम व्यय	0.00	2801288.97
					ਬ)	बीईइ कार्यक्रम व्यय	8,22,478.00	.00
					ज)	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन व्यय	56,11,342.00	.00
3.		प्राप्त ब्याज			3.	निवेश और जमा की गई राशियाँ	1 1	1
	क)	बैंक जमा पर	231,92,824.00	1,77,60,281.00	क)	उद्दिष्ट / अक्षय निधियों से	1447,34,602.00	2271,76,145.00
	ख)	ऋण, पेशगियाँ आदि	13,28,322.00	15,86,366.00				
	ग)	बचत बैंक खाते पर	15,62,382.00	7,99,099.00	4.	स्थायी परिसंपत्तियों तथा पूंजीगत कार्य प्रगति पर व्यय		
	ਬ)	आयकर विभाग से	0.00	25,68,054.00	क)	स्थायी परिसंपत्तियों की खरीद	27,12,436.00	26,50,553.00
4.		फीस से आय						
	क)	पंजीकरण फीस	64,31,400.00	47,13,600.00		अन्य अदायगियाँ		
	ख)	वार्षिक नवीकरण फीस	43,49,000.00	39,11,840.00	क)	बैंक / कंपनियों द्वारा काटा गया टीडीएस	25,96,152.00	19,06,091.00
	ग)	पुनःस्थापन फीस	25,12,000.00	22,95,000.00	ख)	स्टाफ को पेशगियाँ	1,38,000.00	1,26,000.00
	घ)	अनुलिपि प्रमाण-पत्र फीस	2,70,000.00	2,90,400.00	ग)	अन्य पेशगियाँ	17,84,736.24	61,40,979.00
	ड.)	वास्तुविदों से जुर्माना	112,11,980.00	122,70,200.00	ਬ)	लेखागत आंशिक फीस	0.00	12,99,155.00
	च)	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	1,000.00	400.00	ਭ.)	एक बारगी नवीकरण फीस का प्रभाजन	69,78,374.00	62,76,799.00
	ਬ)	अतिरिक्त अर्हता फीस	200.00	300.00	च)	नाटा फीस पेशगियाँ	531,26,500.00	158,23,750.00

5.	अन्य आय			ਬ)	मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	782,00,000.00	341,50,000.00
क)	प्रकाशनों से आय	5,28,980.00	35,42,778.00	ज)	प्राप्ति योग्य/देय राशि	2,57,959.00	0.00
ख)	आर टी आई फीस	730.00	680.00	झ)	वर्ष के लिए बैंक ब्याज	18,16,726.00	47,82,932.00
ग)	नाटा फीस	537,15,500.00	1074,92,007.84	স)	स्टाफ पेशगियाँ से ब्याज लाभ	13,28,322.00	15,93,443.00
घ)	विविध आय	70,340.38	13,06,463.00	ਟ)	नाटा परीक्षा के लिए पूर्वदाता व्यय	7,16,536.00	21,02,669.00
ਭ.)	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन शुल्क	96,39,250.00	0.00	ਰ)	कार्यालय स्थल के लिए एनबीसीसी पेशगियाँ	0.00	0.00
				ਭ)	टीआरसी बैंगलोर हेतु भूमि के लिए बीडीए पेशगियाँ	1599,50,917.00	0.00
6.	अन्य प्राप्तियाँ			ढ)	ओडी शेष का भुगतान	0.00	397,11,058.00
क)	एक बारगी नवीकरण फीस	280,63,000.00	271,08,000.00	ਗ)	सेवा कर मांग ⁄ [े] पेशगियाँ	0.00	17,36,095.00
				त)	ए.वाई 2014-15 के लिए आयकर मांग पर आयकर प्रतिदाय	0.00	43,82,445.00
	वर्ष के दौरान परिपक्व एफडीआर	1202.00.000.00	775 00 000 00		}		
ख) ग)	वष क दारान पारपक्व एफडाआर स्टाफ से वसूल की गई पेशगियाँ	1383,00,000.00	775,00,000.00	6. क)	रोकड़ जमा नकदी शेष	22,002,00	1 21 517 00
ਹ ਬ)	वसूल की गई अन्य पेशगियाँ	22,94,280.00 33,14,033.00	22,61,276.00 42,47,530.26	40)	गम्भा राष	22,093.00	1,31,517.00
ड.)	मूल्यांकन वर्ष 1995-96 एवं 1996-97 के	0.00	18,14,391.00	ख)	बैंक शेष		
	लिए प्राप्त टीडीएस वापसी	0.00	10,1 1,001.00	/			
च)	ब्याज समायोजन से अर्जित ब्याज	36,47,305.00	62,71,383.00		1)चालू खाते/ओडी खाते में	20,52,773.51	5,26,408.77
ਬ)	कर / राशि /पोस्टेज देय	2,40,779.00	2,57,959.00		2)बचत खाते में	425,02,920.38	238,52,582.42
ज)	नाटा फीस पेशगी	850,75,500.00	531,26,500.00		3) उपलब्ध ड्राफ्ट	12,20,446.00	15,32,414.00
झ)	गुणवत्ता सुधार कार्यक्रम संचालन अग्रिम	25,52,750.00	0.00				
j)	मूल्यांकन फीस पेशगियाँ	693,00,000.00	782,00,000.00				
ਟ)	थीसिस अवार्ड कार्यक्रम	0.00	46,66,711.00				
ਰ)	निष्पादन सुरक्षा	2,00,000.00	0.00				
ਭ)	बीईई प्रायोजन	62,59,000.00	0.00				
	कुल	5769,93,151.57	4757,00,681.37		कुल	5769,93,151.57	4757,00,681.37

वास्तुकला परिषद् के लिए और उसकी ओर से इसी तारीख की हमारी अलग से रिपोर्ट के अनुसार कृते, **वी.के.वर्मा एण्ड कम्पनी** सनदी लेखाकार एफ.आर.एन : 000386 एन

स्थान : नई दिल्ली **ह/-**दिनांक:22.09.2018 **(रजिस्ट्रार)**

ह ∕-(प्रेसीडेंट) ह/-(सीए. आर.सी. हसीजा) सदस्यता सं. 054809

COUNCIL OF ARCHITECTURE

(A Statutory Authority of Govt. of India)

NOTIFICATION

New Delhi, 12th October, 2018

ANNUAL REPORT—2017-18

F. No.CA/55(B)/2019/Gazette (AR).—The following is published for general information.

The Council of Architecture set up under the Architects Act, 1972 deems it a pleasure to present its Annual Report and Audited Statement of Accounts for the financial year ending on 31st March, 2018.

The Council is functioning under the Ministry of Human Resource Development, Department of Higher Education, Government of India.

Organizational Structure:

The President, Council of Architecture, is the Head of the Organisation under whose overall charge the Council functions. Shri Biswaranjan Nayak is presently President of the Council. The Registrar, Council of Architecture is the Chief Executive Officer of the Council.

Statutory and Other Committees:

In order to carry out the objectives of the Act, the Central Government has framed Rules and the Council has framed Regulations and constituted various Committees to carry on the duties and functions of the Council. The Executive Committee functions as an Executive Authority of the Council. The Disciplinary Committee investigates the complaints and holds enquiries relating to allegations of professional misconduct against architects. The Advisory Committee (Appeals) hears the appeals of the applicants whose applications for registration are rejected. Apart from these several other Committees are constituted form time to time for particular/special purposes.

The Council constituted a Sub-Committee to examine the references received from Central Government for recognition of foreign qualifications under the Architects Act, 1972.

The Executive Committee also constituted Scrutiny Committee to scrutinize the proposals/applications received from new institutions for imparting Bachelors Degree in Architecture and Masters Degree in Architecture.

Meetings:

- a. **Council:** During the period under report the Council held its one meeting, namely 68th meeting on 13th October, 2017.
- b. **Executive Committee:** During the year 2017-18, the Executive Committee had 14 meetings i.e. 171st meeting on 8th April, 2017, 172nd meeting on 27th May, 2017 and 28th May, 2017, 173rd meeting on 26th June, 2017, 174th meeting on 8th & 9th July, 2017, 175th meeting on 23rd July, 2017, 176th meeting on 6th August, 2017, 177th meeting on 14th August, 2017, 178th meeting on 7th September, 2017,179th meeting on 12th October, 2017, 180th meeting on 6 November, 2017, 181st meeting on 8 December, 2017, 182nd meeting on 11th January, 2018, 183rd meeting on 19th February 2018, 184th meeting on 31st March, 2018.

The various decisions and actions taken by the Council during the year under report are summarized as under:

1.0 RESTORATION OF NAMES TO THE REGISTER OF ARCHITECTS MAINTAINED BY THE COUNCIL UNDER THE ARCHITECTS ACT, 1972:

The Council at its 68th meeting restored names of 1957 defaulting Architects, whose names were restored to the Register of Architects on receipt of requisite fees, during the period 1st February 2017 to 15th September, 2017.

2.0 REMOVAL OF NAMES FROM THE REGISTER OF ARCHITECTS DUE TO EITHER REQUEST OR DEATH:

The Council at its 68th meeting removed the names of following Architects from the Register of Architects at their request as provided under Section 29(1) (a) of the Architects Act, 1972:

- (i) Ms. Monica Mittal, CA/1997/20906, Delhi;
- (ii) Mr. M. R. Mehendale, CA/1976/3389, New Delhi;
- (iii) Mr. Amit Mendiratta, CA/2000/25771, New Delhi;
- (iv) Mr. S.D. Kulkarni, CA/1978/4490/, Mumbai;
- (v) Mr. Divya Venkatesh, CA/2008/43821, Bangalore;

- (vi) Mr. S.G. Mohapatra, CA/1993/16476, Bhubaneswar;
- (vii) Mr. Neetu Chandra, CA/2013/61530, Bangalore;
- (viii) Mr. V. K. Limaye, CA/1982/6971, Ratnagiri;
- (ix) Mr. Arvind Bhalla, CA/1997/21312, Bhopal;
- (x) Mr. Manmohan S. Gadhoke, CA/1979/4877, Delhi;
- (xi) Mr. Subham P. Virkar, CA/1989/12588, Mumbai;
- (xii) Mr. M.M.I. Bape, CA/1975/654, Thane;
- (xiii) Mr. D. K. Babbar, CA/1975/1788, Mumbai;
- (xiv) Ms. A. A. Aradhya, CA/1992/14882, Pune;
- (xv) Mr. V. S. Kulkarni, CA/1984/8503, Pune;
- (xvi) Mr. V. D. Paradkar, CA/1975/1785, Pune;
- (xvii) Mr. A. H. Inglikar, CA/1984/8730, Pune;
- (xviii) Mr. U. A. Anvekar, CA/80/5513, Mumbai;
- (xix) Mr. Ambrase M. D'Souza, CA/84/8512, Mumbai;
- (xx) Ms. J. V. Shinde, CA/2005/35487, Pune;
- (xxi) Ms. Neeta H. Bhatt, CA/1980/5488, Pune;
- (xxii) Mr. Umesh S. Kelkar, CA/2015/70182, Thane; and
- (xxiii) Ms. K. R. Jaiswal, CA/1975/565, Secunderabad

Further, the names of the following architects were removed from the Register of Architects due to their death as provided under Section 29 (1) (b) of the Architects Act, 1972:

- i) Mr. Suresh K. Dhavlikar, CA/1990/12928, Pune;
- ii) Mr. V. A. Deo, CA/1986/9759, Pune;
- iii) Mr. G. C. Gupta, CA/1982/7061, Faridabad;
- iv) Mr. V. M. Tarapore, CA/1985/9158, Mumbai;
- v) Mr. Suresh W. Patil, CA/1981/6162, Mumbai;
- vi) Mr. R. K. Srivastava, CA/1992/14606, Lucknow;
- vii) Mr. T. M. Rao, CA/1975/2085, Hyderabad;
- viii) Mr. Y. S. Patukale, CA/1993/16282, Pune;
- ix) Mr. Darbar Singh, CA/1991/13716, Bhopal; and
- x) Mr. Tanmoy Mazumdar, CA/1991/14285, Delhi.

3.0 REGISTRATION OF ARCHITECTS:

The Council registers a person, as an Architect under Section 25 of the Act, who resides or carries on the profession of architecture in India and holds a recognized architectural qualification. The applications for registration and fees and accepted online.

During the year, the Council has registered 10439 qualified persons as architects. With this as on 31st March, 2018, a total of 92492 Architects have been registered as architects. On 31st March, 2018, 77349 architects hold valid registration as Architects with the Council of Architecture.

4.0 INTRODUCTION OF "ARCHITECTURE" AS AN ELECTIVE SUBJECT AT 10+2 LEVEL ALL OVER INDIA:

The Council prepared the model syllabus for introduction of "Architecture" Course at 10+2 level with a view to enable the students in enhancing their technical skill and adaptability to Architecture course when they opt for pursing such course at a later stage. The Council submitted the syllabus to the Ministry of HRD, Govt. of India, for issuing appropriate directions in the matter to the concerned Education Boards.

The President, COA has also met the Director, NCERT, for inclusion of Architecture subject at 10+2 level. The Chairman, CBSE was also requested for taking necessary action in the larger interest of students.

5.0 AMENDMENT IN ELIGIBILITY CRITERIA FOR ADMISSION TO B.ARCH. COURSE:

The Central Government has approved amendment in the eligibility criteria for admission to B.Arch. Course as under:

"No candidate shall be admitted to architecture course unless she/ he has passed in examination at the end of 10+2 scheme of examination with 50% marks in Physics, Chemistry and Mathematics and also 50% marks in aggregate of the 10+2 level examination."

The above eligibility shall be effective from the academic session 2019-2020.

6.0 MEMORANDUM OF UNDERSTANDING BETWEEN THE COUNCIL OF ARCHITECTURE AND BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY:

The President, Council of Architecture signed a Memorandum of Understanding with Bureau of Energy Efficiency (BEE) (a statutory body under Ministry of Power, Govt. of India) on 26.06.2017 for working together for implementation of Energy Conservation Building Code in design and planning of buildings by Architects. The BEE has committed to provide funds and expertise/ Master Trainers to Council for conducting Training Programme for practising Architects, faculty members and students.

7.0 PURCHASE OF LAND FOR COUNCIL OF ARCHITECTURE TRAINING AND RESEARCH CENTRE AT BENGALURU:

The Council has been allotted a Civil Amenities Site Plot admeasuring around 3.5 Acres at Banshankari, Bengaluru to set up Training & Research Centre. For the purpose, the Council has deposited a sum of Rs. 16/Crores with BDA towards lease amount and it is expected that registration of the plot and handing over possession shall be done shortly.

The Council is very much likely to get allotment of a Plot by Govt. of Odisha at Bhubaneswar, The Council has also initiated the processing of acquiring land in Khorda, Bhubaneswar. The Council has taken space on rent from Bhopal and Mumbai/ Pune for having its Training Centres in 5 Zones.

8.0 APPROVAL OF COUNCIL OF ARCHITECTURE MINIMUM STANDARDS OF ARCHITECTURAL EDUCATION REGULATION, 2017:

In terms of the provisions of Section 21 read with Section 45 of the Architects Act, 1972, the Council framed Council of Architecture (Minimum Standards of Architectural Education) Regulations, 2017 to repeal the existing Regulations framed in the year 1983. The same have been sent to Ministry of Human Resource Development, Govt. of India, for approval of Central Government and the approval is still awaited.

9.0 CONSTITUTION OF ELECTION TRIBUNAL BY CENTRAL GOVERNMENT:

The Ministry of HRD, Govt. of India, vide gazette notification dated 01.06.2017 constituted the Election Tribunal under Section 5 (2) of the Architects Act, 1972 for adjudication of election disputes. The tribunal comprises of Justice M.C. Garg (Retd), as Chairman and Shri V.S. Oberoi, IAS (Retd) and Shri Anup Dave, Architect as members.

10.0 COMPLAINTS FOR PROFESSIONAL MISCONDUCT AGAINST ARCHITECTS:

Each and every Architect is required to observe and abide by the provisions of the Architects (Professional Conduct) Regulations, 1989. The Act provides for taking action against an architect who is found guilty of professional misconduct upon investigation and after providing opportunity of being heard to the Architect.

The Council at its 68th meeting considered 14 complaints for alleged professional misconduct received against Architects and referred 4 complaints to Disciplinary Committee for investigation, dismissed 9 complaints and deferred 1 complaint for consideration at the next meeting.

11.0 DISCIPLINARY COMMITTEE:

In terms of Council of Architecture Rules, 1973, the Disciplinary Committee is constituted by the Central Government, from time to time by gazette notification, to investigate the complaints received against architects for alleged professional misconduct. The Central Government vide gazette notification dated 03.08.2017 reconstituted the Disciplinary Committee and Mrs. Mala Mohan, ADG (Arch), MES, Ministry of Defence, Govt. of India, was included as one of Members of the Disciplinary Committee

The during year under report the Disciplinary Committee met two time i.e. 3rd October, 2018 and 28th November, 2018 to investigate the complaint cases referred to the Committee.

12.0 COMMITTEE ON RECOGNITION OF FOREIGN QUALIFICATIONS:

In terms of Section 15 of the Architects Act, 1972, the Central Government is empowered to recognize foreign architectural qualifications, upon consultation with the Council of Architecture, for the purposes of the Architects Act, 1972.

The Council has constituted a Committee to consider the references received from the Central Government and make its report. During the year under report the Committee met on 7th and 8th September, 2017 and considered the respective cases and made its report to Full Council. The Committee has also prepared a format for receiving applications from applicants possessing foreign qualifications.

13.0 SUPPLY OF INFORMATION UNDER RTI ACT, 2005:

The Council has appointed Shri Deepak Kumar, Administrative Officer, as CPIO and Shri Raj Kumar Oberoi, Registrar, as Appellate Authority in terms of provisions of the RTI Act, 2005.

During the period under report, the Council provided information to 81 RTI Applicant, dealt with 7 First Appeals.

14.0 APPROVAL OF NEW INSTITUTIONS IN THE ACADEMIC SESSION 2017-18:

During the year under the report 22 new institutions were granted approval to impart Bachelor of Architecture Courses and 6 existing institutions were granted approval for imparting PG Courses.

With this, the total number of institutions imparting recognized courses in architecture in the year 2017-18 with the approval of Council are 468.

The annual intake of students sanctioned by the Council at Undergraduate level is approximately 24741, Postgraduate level is 1640.

15.0 EXTENSION OF APPROVAL FOR THE ACADEMIC SESSION 2017-18 ONWARDS:

The Council granted extension of approval or otherwise for UG and PG Courses for the academic session 2017-18 as under:

- i) Institutions granted extension of approval for B.Arch. Course: 408
- ii) Institutions granted extension of approval for M.Arch. course: 64
- iii) Institutions put on 'No Admission': 12
- iv) Institution put on 'withdrawal of approval: NIL

The Council also initiated the process of inspection for the academic session 2018-19 which were due for inspections.

16.0 ISSUANCE OF ENROLMENT NUMBERS TO STUDENTS ADMITTED BY ARCHITECTURAL INSTITUTIONS IN B.ARCH. COURSE:

The Council is issuing enrolment numbers to students admitted by the Institutions to ensure that only eligible students are admitted as per the sanction intake of the Council. The Council is issuing enrolment numbers online based on information furnished by the institutions.

17.0 NATIONAL APTITUDE TEST IN ARCHITECTURE (NATA):

The NATA-2017 was conducted for the prospective candidates looking forward to take up Architecture as career. The Status of the NATA Examination of 2017 is as under:

- a) Total Number of candidates applied: 42098
- b) Total number of candidates appeared in the Exam: 37246
- c) Total number of candidates qualified: 24540
- d) Highest Marks Scored:

18.0 CONDUCTION OF TRAINING PROGRAMME

A. Training Programmes:

The COA-TRC has conducted 32 training programmes and 02 ECBC workshops for teachers and professional architects in Pune and other cities during the last year.

These programmes were attended by 741 participants across the country. The details of the programmes are as follows:

1. Teacher Training Programme:

Sr. No	Name of Programme	Name of programme Coordinator	Dates	No. of Part.
1.	Documentation and Technical Writing in Architecture at School of Architecture, Babu Banarasi Das University, Lucknow	Prof. Mohit Kumar Agarwal	12 th to 16 th June, 2017	30
2.	Faculty Induction Programme at COA - TRC, Pune	Prof. Jayashree Deshpande	17 th to 21 st July, 2017	21
3.	Recent Advances in Building Materials, Construction Technologies & Architectural Styles at MBS School of Planning and Architecture, Greater Noida	Prof. Viresh Kumar Bugga	24 th to 28 th July, 2017	35
4.	The BD2 Workshop: From Basic Design towards Design at COA-TRC, Pune	Smt. Darpana Athale	31 st to 04 th August, 2017	07
5.	The Teaching – Learning Process in Architectural Design from Basic Design to Thesis Project at Bishop Jerome School of Architecture & Design, Kollam	Prof. Ganga Krishnan	21 st to 25 th August, 2017	28
6.	Women in Architecture at Rizvi College of Architecture, Mumbai	Prof. Pradnya Chauhan	21 st to 26 th August 2017	15
7.	Narration of the Built Mass at COA-TRC, Pune	Smt. Fatema Kabir	28 th August to 01 st September, 2017	21
8.	Regional Faculty Induction Programme at Dayananda Sagar School of Architecture, Bangalore	Prof. Rama Subramanian	11 th to 15 th September, 2017	38
9.	Value Based Management at Department of Architecture, School of Building & Environment, Sathyabama University, Chennai	Dr. N. Jothilakshmy	11 th to 15 th September, 2017	09
10.	Documentation of Heritage Buildings at Women's Education Society's Smt.Manoramabai Mundle, College of Architecture, Nagpur	Prof. Neeta Lambe	18 th to 22 nd September, 2017	11
11.	Dialogues - The Communication Skills Workshop for Effective Teaching at COA-TRC, Pune	Smt. Darpanda Athale	25 th to 29 th September, 2017	16
12.	Design Dialect at School of Architecture Siddaganga Institute of Technology, Tumkur, Karnataka	Prof. Sagar TS	30 th October to 03 rd November, 2017	22
13.	Metamorphosis at COA- TRC, Pune, Maharashtra	Prof. Sagar TS	13 th to 17 th November, 2017	19
14.	Learning from Indian Traditions: Built and Unbuilt at Bharati Vidyapeeth's College of Architecture, Mumbai,	Prof. Ritu Deshmukh	27 th November to 01 st December, 2017	38

	Maharashtra			
15.	Archi Texts at Dayananda Sagar School of Architecture, Bangalore, Karnataka	Dr. Rama Subramanian	11 th to 15 th December, 2017	21
16.	Energy Efficient Building Design at Department of Architecture, Malviya National Institute of Technology, Jaipur, Rajasthan	Dr. Nand Kumar	18 th to 22 nd December, 2017	19
17.	Integrative Approach to Design Pedagogy at MVP Samaj's College of Architecture, Nashik, Maharashtra	Prof. Prajakta Baste	18 th to 22 nd December, 2017	10
18.	Rational & Systematic Approach towards Responsive & Qualitative Thesis at U.G. Level at School of Architecture, D. Y. Patil College of Engineering & Technology, Kolhapur, Maharashtra	Prof. Madhugandha Mithari	08 th to 12 th January 2018	24
19.	Regional Faculty Induction Programme at School of Planning & Architecture, Jawaharlal Nehru Architecture and, Fine Arts University, Hyderabad, Telangana	Dr. Kavita Daryani Rao	08 th to 12 th January 2018	45
20.	Architecture as a Craft at Pillais' College of Architecture, New Panvel, Maharashtra	Prof. Preeti Pansare	08 th to 12 th January 2018	15
21.	Conservation of Architectural Heritage at Mysore School of Architecture, Mysore, Karnataka	Dr. Jayprakash Chadchan	15 th to 19 th January, 2018	19
22.	Development Regulations and Built Environment at Department of Architecture, Malviya National Institute of Technology, Jaipur	Dr. Satish Pipralia	22 nd to 26 th January, 2018	17
23.	Digital Architecture at Thejus College of Architecture, Thrissur, Kerala	Prof. S. Thangabaskar	22 nd to 26 th January, 2018	13
24.	Sitecraft at Allana College of Architecture, Pune, Maharashtra		29 th January to 02 nd February, 2018	44
25.	Research in Architecture at COA-TRC, Pune, Maharashtra	Dr. Ujwala Chakradeo	05 th to 09 th February, 2018	30
26.	Green Buildings - in today's architecture at MEASI, Chennai, Tamil Nadu	Dr. A. N. Sachithanandan	05 th to 09 th February, 2018	21
27.	Sustainable Campus Planning and Landscape Design at Dr. Bhanuben Nanavati College of Architecture for Women, Pune, Maharashtra	Prof. Swati Sahasrabudhe	12 th to 16 th February, 2018.	44
28.	Architectural Phenomenology at COA-TRC, Pune, Maharahstra	Smt. Fatema Kabir	19 th to 23 rd February, 2018.	10
29.	Decoding of Space Experience at Padmabhushan Dr. Vasantdada Patil College of Architecture, Pune, Maharashtra	Prof. Vijaya Srinivasan	26 th February to 02 nd March, 2018	23
30.	Dialogues: The Communication Skills workshop for Effective Teaching at J.B.R. Architecture College, Hyderabad, Telanagana	Prof. J. Gayatri	05 th to 09 th March, 2018	16
31.	Documentation & Technical Writing at COA-TRC, Pune, Maharashtra	Prof. Sagar TS	12 th to 16 th March, 2018	08
32.	Vastu Shastra at COA-TRC, Pune, Maharashtra	Smt. Sashikala Ananth	19 th to 23 rd March, 2018	21
Tota	l participants			710

2. Training Program/workshop on "Introduction to provisions in Energy Conservation Building Code (ECBC)"

The details of the programme are as follows:

Sr. No.	Place & Date	No. of Participants
1.	Bhubaneswar 22 nd to 24 th January, 2018	21
2.	Bhubaneswar 26 th to 28 th March, 2018	10

19. NATIONAL AWARDS FOR EXCELLENCE IN ARCHITECTURAL THESIS:

> Undergraduate:

The Council through COA-TRC initiated the 12th National Awards for Excellence in Architectural Thesis Program for undergraduate thesis projects to encourage the young talent. The zonal juries were held at the following places.

Zone	Place	Coordinating College
I	Bhopal	na Azad National Institute of Technology, Bhopal
II	Bhubaneswar	l of Architecture and Planning, KIIT University, Bhubaneswar
III	Pune	rshi Karve Stree Shikshan Samstha's Dr.Bhanuben Nanavati College of Architecture for Women, Pune
IV	Bangalore	Dayananda Sagar School of Architecture, Bangalore
V	Chennai	School of Architecture & Planning, Anna University, Chennai

The members of Jury for Zones were:

1.	Zone I	Ar. Ranjana Mittal, Ar. S. S. Ray, Ar. K. Jaisim
2.	Zone II	Ar. Deval Kumar Rajwanshi, Ar. Rakesh Singh Kushwah, Ar. Sujit Naik
3.	Zone III	Ar. BS Bhooshan, Ar.Shrinivas Murthy, Ar.Neeraj Gupta
4.	Zone IV	Ar. Rajendra Kumar, Ar, Manoj Mathur, Ar. Archana Saikia
5.	Zone V	Ar. N. Ramaswamy, Ar. Nishant Manapure, Ar. Meena Mani

The National Jury was held at India Habitat Centre, New Delhi. The members of Jury for National finals were Ar. R. Chandrashekhar, Ar. Charanjit S. Shah, Ar. Ujan Ghosh.

Post Graduate:

The Council through COA-TRC initiated the 04th National Awards for Excellence in Post Graduate Thesis in Architecture Program for postgraduate thesis projects with an objective to encourage and motivate students of masters' courses in architecture from across the country and develop a research culture amongst schools of architecture.

The National Jury was held at India Habitat Centre, New Delhi. The members of Jury for National finals were Ar. Partha Ranjan Das, Ar. Utpal Kumar Sharma and Ar. S. K. Das.

The awards distribution ceremony for the Undergraduate and Postgraduate programme was held at India Habitat Centre, New Delhi. Dr. Satya Pal Singh, Hon'ble Minister of State, Ministry of HRD, Govt. of India and Shri Krishna Pal Gurjar, Hon'ble Minister of State, Ministry of Social Justice and Empowerment, Govt. of India, were Chief Guests and Shri Satyender Jain, Hon'ble Minister of Health and Urban Development, Govt. of NCT of Delhi was Guest of Honour. The awards were distributed to the concerned winners at hands of Hon'ble Ministers.

20.0 SELECTION OF ARCHITECTS BY GOVT. DEPARTMENT/UNDERTAKINGS:

The Council wrote to several public authorities to appoint architects as per Architectural Competition Guidelines and on payment of fees as prescribed by the Council.

The President, COA, met Secretary, Department of Revenue, Ministry of Finance, Government of India, for considering adoption of the scale of charges prescribed by the Council by the Government and also amending the Government of India Manual on Procedure for appointment of Consultants.

The President, COA also met Comptroller and Auditor General of India in the matter.

21.0 ENFORCEMENT OF THE ARCHITECTS ACT, 1972:

Sections 36 and 37 of the Architects Act, 1972 impose prohibition on misrepresentation as an Architect and use of title and style of Architects by any person other than a registered Architect. The violation of Act is a punishable offence. On receipt of the complaints of misuse of title and style of Architect, the Council filed complaint under Section 39 of the Act before the first class Magistrate for taking cognizance of the Offences.

The Council is pursuing such criminal complaints before the Metropolitan Magistrate in New Delhi, against persons who have violated the Architects Act, 1972. Presently about 14 complaints and 2 Appeals are pending.

22.0 PUBLICATIONS:

The Council is printing and publishing its magazine Architecture "Time Space and People" with assistance of Lifestyle Media, New Delhi.

However, from the month of October 2017, the said firm has conveyed its inability to print and publish the same. The Council has sought expression of interest from the concerned printers/ published so that the publication of the magazine can continue. The Council has also printed following books/journals.

The Council also published and distributed following Books to architecture colleges in India:

• Archiving Architectural Thesis 2012

The following book is ready and is may be printed and published shortly:

Archiving Architectural Thesis 2015

The following refereed journal is in printing process:

• Journal of Council of Architecture (JCOA) – Housing

Work on the peer review of the following journal is in progress:

- Journal of Council of Architecture (JCOA) Sustainable Development
- Journal of Council of Architecture (JCOA) Heritage and Conservation

ACKNOWLEDGEMENT:

Dated: 12.10.2018

The Council would like to place on record its appreciation and gratitude to the Central Government and its Officers, all State Governments, Union Territories, all Architectural Institutions for extending their cooperation to Council in implementation of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to the office bearers and members of the Council of Architecture, Experts, Auditors, Advocates, other professional bodies, practicing architects, academicians and all advertisers for their cooperation, guidance, advice and support for furthering the objectives of the Architects Act, 1972.

The Council expresses its gratitude to its Officers & employees and all those who have rendered useful services to it during the year 2017-18.

R. K. OBEROI, Registrar

V.K VERMA & CO.

CHARTED ACCOUNTANTS

C-37, CONNAUGHT PLACE, NEW DELHI-110001 TEL : 23415811, 23416858, 23415778, 23411014

FAX : 91-11-23417925

E-mail : <u>vkverma@vkvermaco.com</u>

pverma@vkvermaco.com

Website : www.vkvermaco.com

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheet of "COUNCIL OF ARCHITECTURE", India Habitat Centre, Core 6-A, 1st Floor, Lodhi Road, New Delhi-110003, as at 31st March 2018, the Income & expenditure Account and the Receipts & Payment Account for the year ended on 31st March 2018, incorporating the accounts of all the Council Offices. These financial statements are the responsibility of the management of the Council. Our responsibility is to express an opinion on this financial statement based on our audit.

We have conducted the audit in accordance with the generally accepted Auditing & Accounting Standards, notified till date, issued by The Institute of Charted Accountants of India. Those standards require that we comply with ethical requirement and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free from material misstatements. An audit involves performing procedures to obtain audit evidence about the amounts and disclosures in the financial statements. The procedure selected depends on the auditor's judgment, including the assessment of the risk of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error. In making those risk assessments, the auditor considers internal controls given to the preparation and fair presentation of the financial purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the internal controls. An audit also includes evaluating the appropriateness of the accounting policies used and the reasonableness of the accounting estimated made by the management, as well as evaluating the overall presentation of the financial statements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient & appropriate to provide a basis for our audit opinion subject to note no. 2 to 19 of Annexure No. 14- Significant Accounting Policies & Notes forming part of Accounts.

We further report that:

- 1. We have obtained all the information and explanation, which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purpose of the audit;
- 2. In our opinion, proper books of accounts as required by Architect Act 1972 have been kept by the Council in so far as appears from our examination of such books;
- 3. The Balance Sheet, Income & Expenditure Account and Receipts & Payments Accounts dealt with the report are in agreement with the books of account; and
- 4. In our opinion and to the best of our information and according to the explanations given to us, the said statement of accounts together with the schedules attached and read with the accounting policies and notes forming part of accounts give a true and fair view:
 - a) In the case of Balance Sheet of the statement of affairs of the Council as at 31st March 2018 and
 - b) In case of Income & Expenditure Account of the excess of Income over Expenditure for thw year ended 31st March 2018.
 - c) In case of Receipts & Payments Account of the receipts and Payments flows for the year ended 31st March, 2018.

For V.K VERMA & CO. CHARTERED ACCOUNTANTS

FRN: 000386N SD/-

(CA R.C HASIJA) PARTNER

M. NO. 054809 Date: 22.09.2018 Place: New Delhi [भाग III—खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 23

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India) (NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

BALANCE SHEET AS AT 31ST MARCH, 2018

(Amount - Rs.)

DALANCE SHEET AS AT 5151 MARCH, 2016	Schedule	Current Year	Previous Year	
	Schedule	Current rear	rrevious rear	
CORPUS/CAPITAL FUND AND LIABILITIES				
CAPITAL CONTRIBUTION FROM GOVT.OF INDIA	1	150000.00	150000.00	
EARMARKED FUNDS	2	558035947.00	422161958.00	
CURRENT LIABILITIES	3	162805551.00	131584459.00	
SURPLUS / DEFICIT ACCOUNT	7	102276700.28	82598613.34	
TOTAL		823268198.28	636495030.34	
<u>ASSETS</u>				
FIXED ASSETS	4	9777810.00	8270326.00	
INVESTMENTS	5	353591640.00	347157038.00	
CURRENT ASSETS, LOANS & ADVANCES	6	459898748.28	281067666.34	
TOTAL		823268198.28	636495030.34	
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14			

For and on behalf of **COUNCIL OF ARCHITECTURE**

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO. Chartered Accountants FRN:000386N

 Sd/ Sd/ - Sd/

 (REGISTRAR)
 (PRESIDENT)
 (CA R.C. HASIJA)

 M.N.054809
 M.N.054809

Place: New Delhi Date: 22.09.2018

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVERNMENT AUTHORITY)

NCOME & EXPENDITURE FOR THE YEAR ENDED ON			(Amount - Rs.)	
	Schedule	Current Year	Previous Year	
INCOME				
Fees	8	31753754.00	29758239.00	
Other Income	9	109604584.38	96225739.87	
Interest Earned	10	26083528.00	22713800.00	
TOTAL (A)		16,74,41,866.38	148697778.87	
EXPENDITURE				
Establishment Expenses	11	16748357.00	14182072.00	
Administrative Expenses	12	13707576.44	17528301.21	
Expenses related to Promotion of Education & Practice	13	1313531.00	977372.00	
Depreciation	4	1204952.00	2122141.00	
TOTAL (B)		32974416.44	34809886.21	
Balance being excess of Income over Expenditure (A-B)		134467449.94	113887892.66	
Transferred to Surplus and Deficit Account		134467449.94	113887892.66	
ACCOUNTING POLICIES & NOTES TO ACCOUNTS	14			

For and on behalf of COUNCIL OF ARCHITECTURE

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO.

Chartered Accountants

nartered Accountant FRN :000386N

M.N.054809

Sd/- Sd/- Sd/- (REGISTRAR) (PRESIDENT) (CA R.C. HASIJA)

Place: New Delhi Date: 22.09.2018

COUNCIL OF ARCHITECTURE: NEW DELHI

(Established under the Architects Act, 1972 enacted by the Parliament of India)

(NON-PROFIT ORGANISATION- SETUP AS A GOVT. AUTHORITY)

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE PERIOD ENDED ON 31ST MARCH, 2018

Amount (Rs.)

RECEIPTS		Current Year	Previous Year	PAYMENTS		Current Year	Previous Year
I.	Opening Balance			I. Expenses			
	a) Cash In hand	1,31,517.00	28,506.00	a)	Establishment Expenses (corresponding to Schedule 11)	1,67,48,357.00	1,41,82,072.00
	b) Bank Balances			b)	Administrative Expenses (corresponding to Schedule 12)	1,37,07,576.44	1,75,28,301.21
	1) In Current accounts	5,26,408.77	1,34,983.01	c)	Expenses related to Promotion of Education & Practice	13,13,531.00	9,77,372.00
	2) Savings Accounts	2,38,52,582.42	85,21,144.26		(corresponding to Schedule 13)		
	3) Drafts at Hand	15,32,414.00	4,19,330.00				
				II. Payı	ments made against funds for various Projects		
II.	Funds Received			a)	NATA Expenses	1,86,14,516.00	3,70,28,583.00
	a) Evaluation Fees	7,97,00,000.00	3,41,50,000.00	b)	Evaluation & Inspection Expenses	1,99,29,160.00	2,50,04,682.00
	b) Charges for Review of Decision	23,50,000.00	39,50,000.00	c)	Arbitration Expenses	0.00	0.00
	c) Fine/ Penalty from Intuitions	54,85,000.00	73,90,000.00	e)	Directory of Architect Exps.	0.00	0.00
	d) Arbitration Fee	76,500.00	39,000.00	f)	Publication Expenses	1,06,698.00	2277346
	e) Charges for Change/Closure of Name/Site of Institution	23,00,000.00	8,00,000.00	g)	Thesis Award Programme Expenses	0.00	2801288.97
				h)	BEE Programmee Expenses	8,22,478.00	0.00
III.	Interest Received			i)	Conduct of Quality Improvement Programme Expenses	56,11,342.00	0.00
	a) On Bank deposits	2,31,92,824.00	1,77,60,281.00				
	b) Loans, Advances etc.	13,28,322.00	15,86,366.00	III. Inve	estments and deposits made		
	c) On Savings Bank Account	15,62,382.00	7,99,099.00	a)	Out of Earmarked/Endowment funds	14,47,34,602.00	22,71,76,145.0
	d) From Income Tax Dept. on TDS refund for A.Y.1995-96 & 1996-97	0.00	25,68,054.00				
				IV. Expe	enditure on Fixed Assets & Capital Work-in-Progress		
IV. F	Fee Income			a)	Purchase of Fixed Assets	27,12,436.00	26,50,553.00
	a) Registration Fee	64,31,400.00	47,13,600.00				
	b) Annual Renewal Fee	43,49,000.00	39,11,840.00	V. Othe	er Payments		
	c) Restoration Fee	25,12,000.00	22,95,000.00	a)	TDS deducted by the Bank/Companies	25,96,152.00	19,06,091.00
	d) Duplicate Certificate Fee	2,70,000.00	2,90,400.00	b)	Advances to Staff	1,38,000.00	1,26,000.00
	e) Fine from Architects	1,12,11,980.00	1,22,70,200.00	c)	Other Advances	17,84,736.24	61,40,979.00
	f) Apportionment of One Time Renewal Fees	69,78,374.00	62,76,799.00	d)	Part Fees on Account	0.00	12,99,155.00
	g) Additional Qualification Fee	1,000.00	400.00	e)	Apportionment of One Time Renewal Fees	69,78,374.00	62,76,799.00
				f)	NATA Fee Advance	5,31,26,500.00	1,58,23,750.00
V. Other Income				g)	Evaluation Fees Advance	7,82,00,000.00	3,41,50,000.00
	a) Income from Publications	5,28,980.00	35,42,778.00	h)	Amount receivable / Payable	2,57,959.00	0.00

Place: New Delhi

	b)	RTI Fees	730.00	680.00	i)	Bank Interest Accrued for the Year	18,16,726.00	47,82,932.00
	c)	NATA Fees	5,37,15,500.00	10,74,92,007.84	j)	Interest Accrued on Staff Advance	13,28,322.00	15,93,443.00
	d)	Misc. Income	70,340.38	13,06,463.00	k)	Prepaid Expenses for NATA Examination	7,16,536.00	21,02,669.00
		Contact Continue I	06 20 250 00	0.00	15	A leaves to NIDCC for Office Const	0.00	0.00
	e)	Conduct of Quality Improvement Programme Charges	96,39,250.00	0.00	1) m)	Advance to NBCC for Office Space Advance to BDA for Land for TRC Bangalore	0.00	0.00
VI	Other Re	egints			n)	OD Balance repaid	0.00	3,97,11,058.00
\ \ \ \ \ \ \ \	a)	One Time Renewal Fee	2,80,63,000.00	2.71.08.000.00	0)	Services Tax Demand/ Advance	0.00	17.36.095.00
	b)	FDR's Matured during the Year	13,83,00,000.00	7,75,00,000.00	p)	Income Tax Refund against IT Demand for A.Y. 2014-	0.00	43,82,445.00
	0)	The stratuted during the Tear	15,65,00,000.00	7,73,00,000.00	Ρ)	15	0.00	43,02,443.00
	c)	Advances Recovered from Staff	22,94,280.00	22,61,276.00				
	d)	Other Advances Recovered	33,14,033.00	42,47,530.26	VII. Clos	sing Balance		
	e)	TDS Refund received for A.Y.1995-96 & 1996-97	0.00	18,14,391.00		sh in hand	22,093.00	1,31,517.00
	f)	Interest adjusted agst. Interest Accrued	36,47,305.00	62,71,383.00	b) Bar	nk Balances		
	g)	Taxes/ Amount/Postage payable	2,40,779.00	2,57,959.00		1) In Current/OD accounts	20,52,773.51	5,26,408.77
	h)	NATA Fees Advance	8,50,75,500.00	5,31,26,500.00		2) Savings Accounts	4,25,02,920.38	2,38,52,582.42
	i)	Conduct of Quality Improvement Programme Charges Advance	25,52,750.00	0.00		3) Drafts at Hand	12,20,446.00	15,32,414.00
	j)	Evaluation Fees Advance	6,93,00,000.00	7,82,00,000.00		-,		,,
	3 ,							
	k)	Thesis Award Programme	0.00	46,66,711.00				
	1)	Performance Security	2,00,000.00	0.00				
	m)	BEE Sponsorship	62,59,000.00	0.00				
		TOTAL	57,69,93,151.57	47,57,00,681.37		TOTAL	57,69,93,151.57	47,57,00,681.37

for and on behalf of

COUNCIL OF ARCHITECTURE

Date: 22.09.2018 Sd/- Sd/-

(REGISTRAR) (PRESIDENT)

In terms of our separate report of even date

For V. K. VERMA & CO.

Chartered Accountants (FRN:000386N)

Sd/-

(CA R.C. HASIJA) M.N.054809